सचिव
माननीय राज्यपाल, राजस्थान

सत्यमेव जयते

राजभवन, जयपुर - 302 006
राजस्थान,
फोन : +91-141-2228792
फैक्स : +91-141-2221156

क्रमांक : एफ.25(2)आरबी / 2022पार्ट–1 / 4063
दिनांक : 28 जुलाई, 2025

प्रो. (डॉ.) भगवती प्रसाद सारस्वत,
कुलगुरू,
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।

महोदय,

राजभवन के आदेश क्रमांक 5103–04 दिनांक 29.09.2022 के माध्यम से प्रो. कैलाश सोढाणी को कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा का कुलगुरू नियुक्त किया गया था।

प्रो. सोढाणी की जन्मदिनांक अभिलेख पर उपलब्धानुसार दिनांक 29.07.1955 है। अतः इनका कार्यकाल दिनांक 28.07.2025 को पूर्ण होने जा रहा है।

चूंकि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 1987 (यथा संषोधित) की धारा 8(3) के अन्तर्गत नियमित कुलगुरू की नियुक्ति होने में समय लगने की संभावना है। साथ ही विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 8(9) व 8(10) के तहत कामचलाऊ व्यवस्था हेतु राज्य सरकार की सलाह प्राप्त होने में भी समय लगने की संभावना है।

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रो. (डॉ.) भगवती प्रसाद सारस्वत, कुलगुरू, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा को वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के कुलगुरू के पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए अग्रिम आदेशों तक कामचलाऊ व्यवस्था अन्तर्गत (Stop-gap arrangement) अतिरिक्त प्रभार के रूप में नियुक्त किये जाने का अनुमोदन किया गया है।

अतः मैं, माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के निर्देशानुसार आपको कामचलाऊ व्यवस्था अन्तर्गत (Stop-gap arrangement) अतिरिक्त प्रभार के रूप में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के कुलगुरू के पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित करता हूँ।

भवदीय,

(डॉ. पृथ्वी)

क्रमांक : एफ.25(2)आरबी / 2022पार्ट–1 / 4064 दिनांक : 28 जुलाई, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रो. कैलाश सोढाणी, कुलगुरू, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
4. प्रो. (डॉ.) भगवती प्रसाद सारस्वत, कुलगुरू, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
5. कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
6. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
7. रक्षित पत्रावली।

सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान